मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ D.17.5/14.3/2012 भोपाल दिनांक 25.7.12

प्रति

1. कलेक्टर,
   जिला ....(समस्त)
2. उप संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
   जिला ....(समस्त)
3. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री
   संभाग ....(समस्त)
4. सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक
   जिला ....(समस्त)

विषयः—**''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना''** के मार्गदर्शी निर्देश ।

0000

कृषि कार्यो में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण स्तर पर ट्रेक्टर्स एवं उन्नत कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से किराए पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है। यह योजना निम्न दो उपयोजनाओं के मध्यम से क्रियान्वित की जायेगी —

उपयोजना 1 : कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर विशेष अनुदान

उपयोजना 2 : कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

(अ) निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

(ब) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

उपयोजना—1 : कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर विशेष अनुदान

1.1 प्रावधान एवं पात्रता —

1.1.1 सभी श्रेणी के वे कृषक पात्र होंगे जिनके पास पूर्व से ट्रेक्टर उपलब्ध होगा।

1.1.2 रिज—फरो अटैचमेंट हेतु वे कृषक पात्र होंगे जिनके पास पूर्व से ही सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होगी।

1.1.3 चयनित शक्तिचलित कृषि यंत्र एवं उन पर उपलब्ध टॉप अप/विशेष अनुदान निम्नानुसार होगा –

क्र.	चिन्हित कृषि कियायें	चिन्हित यंत्र	अनुदान का प्रकार	अनुदान सीमा
1	सोयाबीन की बुवाई की रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहन	रिज–फरो अटैचमेंट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हेतु)	विशेष अनुदान	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.2500/–
2	धान कटाई उपरांत गेहूँ की समय पर बुवाई	जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
3	फसलों की कतार में बुवाई	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
4	फसलों की एरोबिक खेती	रेज्ड बेड प्लांटर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.20000/–
5	गहरी जुताई कार्य	रिवर्सिबल प्लाऊ, एम. बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
6	फसल कटाई कार्य	रीपर कम बाइंडर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.50000/–
7	नरवाई से भूसा प्राप्त करना	स्ट्रा रीपर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.50000/–
8	सघन कीट नियंत्रण	एरोब्लास्ट स्प्रेयर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.25000/–

1.2 कियान्वयन :–

राज्य स्तर पर उपयोजना का कियान्वयन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जावेगा। संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रत्येक जिले हेतु लक्ष्यों का निर्धारण कर सूचित किया जावेगा। योजनांतर्गत कृषि यंत्रों का चयन संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जायेगा। मैदानी स्तर पर उपयोजना का कियान्वयन उप संचालक कृषि के माध्यम से होगा। हितग्राही चयन, अनुमोदन एवं अनुदान का भुगतान ''मेक्रो मैनेजमेंट – कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन'' के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। योजना की मॉनीटरिंग भी मेक्रो मैनेजमेंट – कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत् में की जायेगी।

उपयोजना–2 : कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

ऐसे निजी हितग्राही/प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थायें जो कृषकों को कृषि कार्यो हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के लियै कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करना चाहते है उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीक के यंत्र कय करने हेतु योजनांतर्गत सहायता दी जायेगी। यह क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी (**Credit Linked Back Ended Subsidy**) योजना है जिसमें **Back Ended** अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रकरणों को बैंकों द्वारा एम.एस.ई. सेक्टर (Micro and Small Enterprises) अंतर्गत स्वीकृत किया जायेगा।

2.1 पात्रता एवं शर्ते :–

(अ) : निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

1. सभी श्रेणी के 40 वर्ष आयु तक के व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) इकाई की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
2. आवेदक को न्यूनतम स्नातक होना आवष्यक होगा। कृषि अथवा कृषि अभियांत्रिकी स्नातक जो कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करना चाहते है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
3. योजनांतर्गत केवल बैंक ऋण के प्रकरण पर ही अनुदान की पात्रता होगी। ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त किया जा सकेगा।

(ब) : प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

1. योजनांतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त करने को पात्र होंगी।
2. योजनांतर्गत केवल बैंक ऋण के प्रकरण पर ही अनुदान की पात्रता होगी। ये समितियाँ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगी। आवेदक समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।

अन्य पात्रता एवं शर्ते जो (अ) एवं (ब) के लिये समान रूप से लागू होगीं :–

1. योजनान्तर्गत 35 से 55 हार्सपावर तक के ही ट्रेक्टर लिये जा सकेगे।
2. योजनांतर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें कृषकों को

प्रदाय करनी आवष्यक होगी। इस अवधि के पूर्व बैंक ऋण अदा हो जाने की स्थिति में भी कृषकों को कस्टम हायरिंग सेवायें इस अवधि तक दी जाना आवश्यक होगी। इस हेतु हितग्राही/समिति को एक शपथ पत्र देना होगा।

3. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण हितग्राही/समिति को स्वीकृत किया जायेगा। ऋण अदायगी में हितग्राही/समिति द्वारा बैंक की ऋण राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि का समायोजन एक मुश्त रूप से बैंक द्वारा किया जायेगा। हितग्राही/समिति ऋण राशि अदा करने में असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हितग्राही/समिति ऋण राशि, अनुदान राशि एवं देय ब्याज की देनदार रहेगी।

4. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी उस पर शासन को कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा हितग्राही/समिति से ब्याज लिया जायेगा।

5. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

6. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। Lock-in Period की अवधि के पूर्व हितग्राही/समिति द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही/समिति को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापिस कर दी जायेगी।

7. योजना के तहत कय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति को हितग्राही/समिति द्वारा ऋण अवधि तक विकय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व की भांति की जा सकेगी।

8. हितग्राही/समिति द्वारा बैंक ऋण अदा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा बैधानिक कार्यवाही उपरांत वसूल की गई राशि में से प्रथमतः बैंक की ऋण राशि (ब्याज सहित) समायोजित की जाकर शेष राशि शासन को लौटाई जायेगी।

9. कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु कय की गई मशीनों/यंत्रों के रख–रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक हितग्राही/समिति को स्वयं करनी होगी। हितग्राही/समिति को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।

2.2 प्रावधान :–

((अ) एवं (ब) के लिये समान रूप से लागू)

2.2.1 ऐसे हितग्राही/समिति जो कृषकों को कृषि कार्यो हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के लिये कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करना चाहते है उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीक के यंत्र कय करने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान दिया जा सकेगा।

2.2.2 कस्टम हायरिंग केन्द्र बैंक ऋण आधार पर न्यूनतम रू. 10 लाख तथा अधिकतम रू. 25 लाख तक की लागत का बैंक ऋण आधार पर स्थापित किया जा सकेगा।

2.2.3 अनुदान का भुगतान Back Ended अनुदान के रूप में किया जायेगा। यह क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) योजना है जिसमें Back Ended अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही/समिति द्वारा ऋण की पूर्ण आदायगी किये जाने के उपरांत अनुदान राशि हितग्राही/समिति के खाते में समायोजित करेगा।

2.2.4 एक इकाई में निम्नानुसार न्यूनतम सामग्री अनिवार्य रूप से रखी जायेगी –

1. एक ट्रेक्टर
2. एक प्लाउ
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो
5. एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर

उपरोक्त सभी यंत्र ट्रेक्टर के साथ मेचिंग के यंत्र होना आवश्यक है। इन आवश्यक यंत्रों के अतिरिक्त क्षेत्र एवं फसलों के आधार पर अन्य उपयुक्त यंत्रों/मशीनों का चयन भी ऐच्छिक यंत्रों की सूची में से किया जा सकेगा। कस्टम हायरिंग केन्द्र पर प्रोजेक्ट लागत अनुसार रखे जाने वाले यंत्रों/मशीनों की सूची परिशिष्ट–2 पर तथा अनिवार्य तथा ऐच्छिक यंत्रों की सूची परिशिष्ट–3 पर है।

2.2.5 स्थापित की जाने वाली कस्टम हायरिंग इकाई को प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार देय मार्जिन मनी एवं अनुदान की पात्रता निम्नानुसार रहेगी –

स.क	प्रोजेक्ट लागत	मार्जिन मनी	अनुदान पात्रता
1	रू. 10 लाख तक	प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत्	लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू. 5 लाख

2	रू. 10 लाख से अधिक एवं रू. 18 लाख तक	प्रोजेक्ट लागत का 20 प्रतिशत्	लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू. 9 लाख
3	रू. 18 लाख से अधिक एवं रू. 25 लाख तक	प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत्	लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू. 10 लाख

2.3 क्रियान्वयन :–

1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रत्येक जिले हेतु निजी हितग्राहियों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों अंतर्गत केन्द्र स्थापना के लक्ष्यों का निर्धारण कर संबंधित कृषि यंत्री को सूचित किया जावेगा।
2. इच्छुक आवेदक/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा संभाग के कृषि यंत्री को आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन (निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–1 में) प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन संभाग को प्रदाय लक्ष्यों के दोगुनी संख्या में प्राप्त किये जा सकेंगें। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की सूची निजी हितग्राहियों एवं समितियों हेतु अलग–अलग तैयार की जावेगी। प्रत्येक सूची पर उसके लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विचार किया जायेगा।
3. निजी हितग्राहियों हेतु सूची दो भागों में तैयार की जावेगी। प्रथम सूची कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों तथा द्वितीय सूची अन्य आवेदकों की तैयार की जायेगी। प्रत्येक सूची "प्रथम आये प्रथम पाये" के आधार पर तैयार की जायेंगी। यह सूची तब तक वैध रहेगी जब तक इस सूची के सभी आवेदकों पर विचार न कर लिया गया हो। प्रथम सूची के सभी आवेदकों को विचार क्षेत्र में लेने के उपरांत शेष रहे लक्ष्यों हेतु द्वितीय सूची के आवेदकों पर विचार किया जायेगा।
4. आवेदक/समिति द्वारा न्यूनतम रू. 10 लाख तथा अधिकतम रू. 25 लाख तक की लागत की कस्टम हायरिंग इकाई स्थापित की जा सकेगी। एक इकाई में न्यूनतम एक ट्रेक्टर, एक प्लाउ, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर/डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एवं एक थ्रेशर अनिवार्य रूप से रखा जाना होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र एवं फसलों के आधार पर अन्य उपयुक्त यंत्रों/मशीनों का चयन भी किया जा सकेगा।
5. योजनांतर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि मषीनों का कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) के प्रयोजन हेतु उपयोग सुनिष्वित करने हेतु आवेदक/समिति को एक सहमति पत्र (Undertaking) देना होगा।
6. संभाग के कृषि यंत्री इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को आवेदक/समिति द्वारा चाहे गये बैंकों में अगली कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगें। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त होगा

जबकि निजी आवेदक राष्ट्रीयकृत अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

7. प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्राप्त प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिष्चित की जायेगी जो किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नही होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभाग के कृषि यंत्री को प्रेषित की जावेगी। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर समिति द्वारा नामांकित सदस्य/आवेदक को ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित 15 दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी में दिलाया जावेगा जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदक/समिति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत कृषि यंत्री द्वारा 15 कार्य दिवस में बैंक को अनुदान राशि प्रेषित की जायेगी।

8. कृषि यंत्री से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात आवेदक/समिति द्वारा बैंक के आवश्यक ऋण दस्तावेजो का निष्पादन 7 दिवस में किया जाना होगा। तत्पश्चात बैंक द्वारा नियमानुसार हितग्राही/समिति को योजना के अनुसार ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र प्रदाय कराये जावेगे। कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु क्रय की गई मशीनों/यंत्रों का बीमा आवेदक/समिति द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना अनिवार्य होगा। क्रय की गई सामग्री का संयुक्त निरीक्षण सहायक कृषि यंत्री तथा संबन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा आवेदक की उपस्थिति में किया जाएगा।

9. आवेदक को अन्य कृषि आदानों यथा उर्वरक, कीटनाषक, बीजों आदि का व्यवसाय करने हेतु भी प्रेरित किया जायेगा तथा उसे संबंधित व्यवसाय हेतु पात्रतानुसार लायसेन्स प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

10. कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगें। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते है तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।

11. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक/समिति द्वारा सही हालत में रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण समय–समय पर अधिकारियों/विभागीय इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा।

12. कृषको के खेतों में किये गये कार्यो का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में निर्धारित प्रारूप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय–समय पर अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध कराना होगी।

13. आवेदक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

2.4 योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु प्रकिया एवं समय सीमा

क्र.	प्रकिया	समयसीमा
1.	आवेदक द्वारा संभागीय कृषि यंत्री को आवेदन की प्रस्तुति।	—
2.	प्राप्त आवेदनों की स्कीनिंग तथा सूचीबद्ध कर बैंक को अग्रेषित किया जाना।	10 दिवस
3.	परीक्षण उपरांत बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभागीय कृषि यंत्री को प्रेषित करना।	15 दिवस (अधिकतम 1 माह)
4.	कृषि यंत्री द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण में भाग लेने की सूचना देना एवं प्रशिक्षण पूर्ण कराना।	1 माह
5.	प्रशिक्षण समापन उपरांत बैंक को अनुदान राशि जारी करना।	15 दिवस
6.	आवेदक को बैंक द्वारा ऋण वितरण तथा सामग्री का प्रदाय	15 दिवस
7.	सहायक कृषि यंत्री एवं शाखा प्रबंधक द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन	10 दिवस

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय पंडित) 25/7/12
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक / D.17-5/12/14.3 भोपाल दिनांक 25.7.12

प्रतिलिपिः–

1. विषेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. विषेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेष, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
5. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग / कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेष, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम / मार्कफेड, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग ....

उप सचिव, 25/7/12
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट–1

निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन

पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करें

प्रति,

कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
संभाग ....

विषयः–''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' अंतर्गत निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन।

महादेय,

मैं विषयांतर्गत योजना में निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक हूँ। मेरे से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

1 नाम :–

2 पिता / पति का नाम :–

3 आयु :–
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

4 जाति (अनु.जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) :–
(जातिप्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)

5 क्या आवेदक कृषि अभियांत्रिकी / कृषि स्नातक हैं :– हां / नहीं

6 शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण) :–
(अंकसूची की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)

7 निवास का पता– :–

ग्राम :–

ग्राम पंचायत :–

विकासखण्ड :–

जिला :–

8 कस्टम हायरिंग केन्द्र में रखे जाने वाले ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की सूची

क्र.	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र का नाम	संख्या	निर्माता / मॉडल	अनुमानित कीमत
1	ट्रेक्टर			
2	कृषि यंत्र...			
3	कृषि यंत्र...			
4	कृषि यंत्र...			
5	कृषि यंत्र...			
6	कृषि यंत्र...			
7	कृषि यंत्र...			
8	कृषि यंत्र...			
9	अन्य मशीने..			
10	अन्य मशीने..			
	योग			

9	बैंक का विवरण जहां से ऋण प्राप्त करना चाहता हूं।		
1	बैंक का नाम	:–	
2	बैंक शाखा का विवरण	:–	

10. पूर्व में प्राप्त ऋण का विवरण :–

कमांक	बैंक का नाम	प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया गया	राशि	वर्तमान बकाया राशि

11. उपलब्ध संसाधनों का विवरण (जैसे भूमि, शेड़, कृषि योग्य भूमि आदि) :–

कमांक	संसाधन	विवरण

/ /घोषणा/ /

मैं .... घोषणा करता हूं कि योजना के नियम तथा शर्तो का पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा। मैं बैंक ऋण में अपने हिस्से की मार्जिन मनी देने में सक्षम हूं।

ग्राम:–

दिनांक–

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम)

समिति की स्थिति में पदनाम दें तथा

सील भी लगाये

संलग्न दस्तावेज (स्वयं द्वारा प्रमाणित) :–

1. फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति
2. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. निवास का प्रमाण पत्र की छायाप्रति
4. ट्रेक्टर चालन हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति
5. शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकसूची की छायापति

परिशिष्ट–2

प्रोजेक्ट लागत अनुसार रखे जाने वाले यंत्रों की सूची

(अ) राशि रू. 10 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु यंत्रों की सूची

क.	यंत्रों का विवरण	संख्या	राशि (रू. लाख)	
	अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले यंत्र			
1	ट्रेक्टर (35 **hp** से 55 **hp**)	1	5.50	5.50
2	एम.बी प्लाऊ	1	0.40	–
	रिवर्सिबल प्लाऊ		–	0.80
3	रोटावेटर	1	0.90	0.90
4	कल्टीवेटर	1	0.30	0.30
5	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (2 बॉक्स)	1	0.40	0.40
6	ट्रेक्टर चलित थ्रेशर	1	1.25	1.25
	योग		8.75	9.15
7	ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले यंत्र	चयन अनुसार	1.25	0.85
	महायोग		10.00	10.00

(ब) राशि रू. 18 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु यंत्रों की सूची

क.	यंत्रों का विवरण	संख्या	राशि (रू. लाख)
	अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले यंत्र		
1	ट्रेक्टर (35 **hp** से 55 **hp**)	1	6.50
2	रिवर्सिबल प्लाऊ	1	0.80
3	रोटावेटर	1	0.90
4	कल्टीवेटर	1	0.25
5	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (2 बॉक्स)	1	0.40
6	ट्रेक्टर चलित थ्रेशर	1	1.25
	योग		10.10
7	ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले यंत्र	चयन अनुसार	7.90
	महायोग		18.00

(स) राशि रू. 25 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु यंत्रों की सूची

क.	यंत्रों का विवरण	संख्या	राशि (रू. लाख)
	अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले यंत्र		
1	ट्रेक्टर (35 **hp** से 55 **hp**)	2	12.85
2	रिवर्सिबल प्लाऊ	1	0.80
3	रोटावेटर	2	1.80
4	कल्टीवेटर	2	0.50
5	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (2 बॉक्स)	2	0.80
6	ट्रेक्टर चलित थ्रेशर	1	1.25
	योग		18.00
7	ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले यंत्र	चयन अनुसार	7.00
	महायोग		25.00

परिशिष्ट–3

1. कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रों/मशीनों की सूची

क्र.	भारी मिट्टी हेतु उपयुक्त यंत्र	हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त यंत्र
1	ट्रेक्टर (35 **hp** से 55 **hp**)	ट्रेक्टर (35 **hp** से 55 **hp**)
2	रिवर्सिबल प्लाऊ	प्लाऊ (एम.बी प्लाऊ/डिस्क प्लाऊ)
3	रोटावेटर (हेवी डयूटी)	रोटावेटर
4	डकफूट/रिजिड टाईन कल्टीवेटर	शॉवेल टाईप कल्टीवेटर/डिस्क हेरो
5	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (2 बॉक्स)	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (2 बॉक्स)
6	ट्रेक्टर चलित थ्रेशर	ट्रेक्टर चलित थ्रेशर

2. ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रों/मशीनों की सूची

क्र.	मशीन/स्वचलित कृषि यंत्र	अनुमानित कीमत (रू लाख)
1	रेज्ड बेड प्लांटर	0.80
2	जीरो टिलेज सीड ड्रिल	0.45
3	गार्लिक प्लांटर	0.50
4	वेजीटेबल प्लांटर	1.00
5	पोटेटो प्लांटर	0.45
6	शुगरकेन कटर – प्लांटर	1.30
7	मल्टीकॉप प्लांटर	0.80
8	ट्रेक्टर माउण्टेड रीपर	0.50
9	कॉटन पिकर	0.08
10	ट्रेक्टर माउण्टेड स्प्रेयर	0.40
11	पावर स्प्रेयर	0.30
12	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर	1.80
13	लेजर लेण्ड लेवलर	3.50
14	स्ट्रारीपर	2.00
15	सीड ग्रेडर	0.30
16	पावरटिलर	1.40
17	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	0.85
18	रीपर कम बांइडर	3.00
19	राईस ट्रांसप्लांटर	1.50
20	पावर वीडर	0.80
21	पोटेटो डिगर	0.50
22	मेज शेलर (पावर ऑपरेटेड)	0.70
23	ऐक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर	1.20
24	हेप्पी सीडर	1.50
25	रोटरी प्लाऊ	0.90
26	डोजिंग अटैचमेंट	0.85

नोट :– ऐच्छिक यंत्रों की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र भी चयनित किये जा सकते है।

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 17/7/2013

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला............................(समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री,
   संभाग..............................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री / मुख्य निर्देशक
   जिला...............................(समस्त)

विषय–''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः– 1. शासन का परिपत्र क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.2012
2. शासन का परिपत्र क्रमांक / के.जी–4 / 2012–13 / 535 दिनांक 19.03.2013
3. शासन का परिपत्र क्रमांक / 1029 / 13 / डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 27.04.2013

शासन के संदर्भित परिपत्रों द्वारा ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे। योजना के क्रियान्वयन के दौरान जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि एक ही ग्राम के कई आवेदकों को तथा एक ही परिवार में एक से ज्यादा कस्टम हायरिंग केन्द्र स्वीकृत होने की स्थिति बन रही है। जिलों द्वारा इस बात पर संशय व्यक्त किया गया है कि इस प्रकार कस्टम हायरिंग केन्द्र स्वीकृत होने से सभी केन्द्रों को पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं हो पायेगा तथा बैंक से प्राप्त ऋण को वापस करने में भी कठिनाई होगी, इस प्रकार योजना के हितग्राही के हितलाभ प्रभावित होंगें।

उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनांतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की लाभप्रदता की गणना बैंकों द्वारा प्रत्येक ट्रेक्टर हेतु लगभग 1000 घंटे का कार्य मानते हुये की गई है। अतः इस योजना की उपयोगिता तभी है जब एक ग्राम में एक कस्टम हायरिंग केन्द्र से अधिक केन्द्र स्थापित न हों। अतः एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जाना है।

योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण उपरोक्तानुसार ही किया जाये।

(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 17-07-13

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग / कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/कृ.प्री-4/2012-13/535 भोपाल, दिनांक 19/3/13

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला..........................(समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री
   संभाग..........................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक
   जिला..........................(समस्त)

विषय—"कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन के संबंध में।
संदर्भः—शासन का परिपत्र क्रमांक/डी–17–5/14–3/2012 दिनांक 25.07.2012

शासन के संदर्भित परिपत्र द्वारा "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे। योजना की उप योजना 2 अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता का प्रावधान है।

योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.3 क्रियान्वयन के बिन्दु (7) में दर्शित है कि
बिन्दु क्रमांक 2.3
"(7) प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्राप्त प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी जो किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नहीं होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभाग के कृषि यंत्री को प्रेषित की जावेगी। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर समिति द्वारा नामांकित सदस्य/आवेदक को ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित 15 दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी में दिलाया जावेगा जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदक/समिति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत कृषि यंत्री द्वारा 15 कार्य दिवस में बैंक को अनुदान राशि प्रेषित की जायेगी।"

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है —
बिन्दु क्रमांक 2.3
"(7) प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्राप्त प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी जो किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नहीं होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभाग के कृषि यंत्री को प्रेषित की जावेगी। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर समिति द्वारा नामांकित सदस्य/आवेदक को ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित 15 दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल अथवा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर में दिलाया जावेगा जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदक/समिति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत कृषि यंत्री द्वारा 15 कार्य दिवस में बैंक को अनुदान राशि प्रेषित की जायेगी।"

(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/कृ.प्री-4/2012-13/536 भोपाल, दिनांक 19/3/13

प्रतिलिपिः—
1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक/1029/13/14-3/D-17-5 भोपाल, दिनांक 27-4-13

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला.........................(समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री,
   संभाग.........................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक
   जिला.........................(समस्त)

विषय—"कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन के संबंध में।
संदर्भः—शासन का परिपत्र कमांक/डी—17—5/14—3/2012 दिनांक 25.07.2012

शासन के संदर्भित परिपत्र द्वारा "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे। योजना की उप योजना 2 अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता का प्रावधान है। योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के बिन्दु कमांक 2.3 कियान्वयन के बिन्दु कमांक (3) एवं (6) में दर्शित है कि —

2.3 कियान्वयन :—

(3) निजी हितग्राहियों हेतु सूची दो भागों में तैयार की जावेगी। प्रथम सूची कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों तथा द्वितीय सूची अन्य आवेदकों की तैयार की जायेगी। प्रत्येक सूची "प्रथम आये प्रथम पाये" के आधार पर तैयार की जायेगी। यह सूची तब तक वैध रहेगी जब तक इस सूची के सभी आवेदकों पर विचार न कर लिया गया हो। प्रथम सूची के सभी आवेदकों को विचार क्षेत्र में लेने के उपरांत शेष रहे लक्ष्यों हेतु द्वितीय सूची के आवेदकों पर विचार किया जायेगा

(6) संभाग के कृषि यंत्री इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को आवेदक/समिति द्वारा चाहे गये बैंकों में अगली कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त होगा जबकि निजी आवेदक राष्ट्रीयकृत अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगें।

उपरोक्त बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है —

2.3 कियान्वयन :—

(3) निजी हितग्राहियों हेतु सूची दो भागों में तैयार की जावेगी। प्रथम सूची कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों तथा द्वितीय सूची अन्य आवेदकों की तैयार की जायेगी। प्रत्येक सूची "प्रथम आये प्रथम पाये" के आधार पर तैयार की जायेगी। प्रथम सूची के सभी आवेदकों को विचार क्षेत्र में लेने के उपरांत शेष रहे लक्ष्यों हेतु द्वितीय सूची के आवेदकों पर विचार किया जायेगा। तैयार की गई सूचियॉ आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले वित्तीय वर्ष हेतु ही वैध रहेंगी।

(6) संभाग के कृषि यंत्री इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को आवेदक/समिति द्वारा चाहे गये बैंकों में अगली कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त होगा जबकि निजी आवेदक राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 1030/13/14-3/D-17-5 भोपाल, दिनांक 27-4-13

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 06 नवंबर 2013

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला.............................(समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री,
   संभाग...............................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री / मुख्य निर्देशक
   जिला................................(समस्त)

विषय–"कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देशों के संबंध में।

संदर्भः– शासन का परिपत्र क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.2012

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे। निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.2.4 में अनिवार्य एवं ऐच्छिक यंत्रों के संबंध में उल्लेखित किया गया है, जो परिशिष्ट–2 एवं 3 में दर्शाये गये हैं। बैंक स्तर पर योजना क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः–

1. परिशिष्ट–2 अंतर्गत लागत अनुसार दर्शाये प्रोजेक्ट्स में केवल बिन्दु क्रमांक 2.2.4 अनुसार एक–एक ट्रेक्टर, प्लाउ, रोटावेटर, कल्टीवेटर / डिस्क हैरो, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल एवं थ्रेशर यंत्रों को ही लेने की अनिवार्यता रहेगी। शेष राशि में हितग्राही अपनी इच्छानुसार कोई भी यंत्र क्रय कर सकता है।
2. ऐच्छिक यंत्रों की सूची जो परिशिष्ट–3 पर है वह उदाहरण के तौर पर दी गई है। हितग्राही स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये कृषि उपयोगी अन्य कोई भी यंत्र ले सकता है।

योजना का क्रियान्वयन उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाये।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव,
म0प्र0शासन
किसान् कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 06 नवंबर 2013

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग / कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

उप सचिव,
म0प्र0शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमाक/डी–17–5/14–3/2012/1267 भोपाल, दिनांक 17.7.14

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला .... (समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री
   संभाग .... (समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री
   .... (समस्त)

विषयः– ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

संदर्भः– शासन का परिपत्र क्रमाक/डी–17–5/14–3/2012 दिनांक 25.07.2012 एवं क./के.जी.–4/12–13/535--36 दिनांक 19.03.2013

शासन के संदर्भित परिपत्रों द्वारा ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे। योजना की उप योजना 2 अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु सहायता का प्रावधान है।

योजना के मार्गदर्शी निर्देशों (संशोधन दि. 19.03.2013) के बिन्दु क्रमाक **2.3 – क्रियान्वयन** के बिन्दु (7) में दर्शित है कि –

बिन्दु क्रमाक 2.3

''(7) प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्राप्त प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी जो किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नही होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभाग के कृषि यंत्री को प्रेषित की जावेगी। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर समिति द्वारा नामांकित सदस्य/आवेदक को ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रो के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित 15 दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल अथवा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में दिलाया जावेगा जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदक/समिति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत कृषि यंत्री द्वारा 15 कार्य दिवस में बैंक को अनुदान राशि प्रेषित की जायेगी। ''

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

बिन्दु क्रमाक 2.3

''(7) प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्राप्त प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी जो किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नही होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना संभाग के कृषि यंत्री को प्रेषित की जावेगी। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर समिति द्वारा नामांकित सदस्य/आवेदक को ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रो के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित 7 दिवसीय प्रशिक्षण केन्द्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल अथवा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में दिलाया जावेगा जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदक/समिति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत कृषि यंत्री द्वारा 15 कार्य दिवस में बैंक को अनुदान राशि प्रेषित की जायेगी। ''

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमाक/डी–17–5/14–3/2012/1268 भोपाल, दिनांक 17.7.14

प्रतिलिपिः–

1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल।
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।

उप सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

H:\Govt praroop\CHC sansodhan nirdesh.doc

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला.. (समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
   संभाग .... (समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री
   जिला .... (समस्त)

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आवक क्र. 2836
दिनांक 27/5/15

विषयः– "कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना" के मार्गदर्शी निर्देशो के संबंध में।

संदर्भः– शासन का पत्र क्रमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.2012, समसंख्यक दिनांक 06.11.2013 एवं समसंख्यक दिनांक 17.07.2014

—

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा योजना के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे निर्देशो मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

1. बिंदु क्रमांक 2.2.1 में उल्लेखित अनुदान "कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.10.00 लाख तक" के स्थान पर "कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10.00 लाख तक" पढा जावे।
2. बिंदु क्रमांक 2.2.4 में उल्लेखित अनिवार्य कृषि यंत्रो में क्रमांक 6 पर अंकित "एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर" के स्थान पर "एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रारीपर" पढा जावे।
3. बिंदु क्रमांक 2.3 के (2) में उल्लेखित "इच्छुक आवेदक / प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा संभाग के कृषि यंत्री को आवश्यक अभिलेखो सहित आवेदन (निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–1) में प्रस्तुत किया जावेगा। " के स्थान पर "आवेदन ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किये जावेगे तथा प्राथमिकता सूची का निर्धारण इलेक्ट्रोनिक / कम्प्यूटर लाटरी पद्धति से किया जावेगा।"

(आर.के. गणेश)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल।
2. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग............................(समस्त)।
5. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला.......................(समस्त)।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/डी–7–2/2014/14–3 भोपाल, दिनांक 30/3/2016

प्रति,

संचालक
कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः–निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की योजना में संशोधन बाबत्।

संदर्भः–शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश क्रमांक–डी–17–5/14–3/2012 दिनांक 25.07.12 एवं समसंख्यक दिनांक 27.05.15

0000

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की योजना अंतर्गत शासन द्वारा जारी पत्र क्रमाक–डी–17–5/14–3/2012 दिनांक 27.05.15 द्वारा मूल दिशा निर्देशों दिनांक 25.07.12 के बिन्दु क्रमांक 2.2.1 में उल्लेखित अनुदान "कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक के स्थान पर कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक" पढ़ा जावे, का संशोधन किया गया है अब इसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे – "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख एवं अन्य वर्ग के आवेदकों को कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान देय होगा"।

2. मूल दिशा निर्देशों दिनांक 25.07.12 के बिन्दु क्रमांक 2.2.4 में उल्लेखित न्यूनतम अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली सामग्री में प्लाऊ, कल्टीवेटर/डिस्क हैरो, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल एवं ट्रेक्टर चलित थ्रेशर के स्थान पर उद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्र/मशीनरी भी क्रय की जा सकेंगी।
3. मूल दिशा निर्देशों दिनांक 25.07.12 के बिन्दु क्रमांक 2.1 अ(2) में कृषि स्नातकों (कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय के) को जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य में संपूर्ण प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में उल्लेख है। अब कृषि स्नातकों को जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्र तक की ही प्राथमिकता दी जा सकेगी।

उक्त संशोधन 1 अप्रेल 2016 से प्रभावशील होंगे।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

क्रमांक/डी–7–2/2014/14–3 भोपाल, दिनांक 30/3/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/उद्यानिकी, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

उप सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23

क्रमांक / तक / एस.एम.ए.एम / 2016–17 / 1059 भोपाल, दिनांक: 13-05-2016

प्रति,

1. उप संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास
   जिला.............................(समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री,
   संभाग.............................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री,
   जिला...........................(समस्त)

विषयः–'कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना' के मार्गदर्शी निर्देशों के संबंध में।
संदर्भ–1.शासन का पत्र कमांक / डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.2012
2.शासन का पत्र कमांक / डी–17–6 / 14–3 / 2016 दिनांक 08.03.2016

000

राज्य शासन की कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कंडिका 1.1.3 में उल्लेखित कृषि यंत्रों पर 25% टॉपअप अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना की राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति (SLEC) की बैठक दिनांक 05.03.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार अन्य 11 निम्न उल्लेखित कृषि यंत्रों को भी टॉपअप अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

मार्गदर्शी निर्देशों की कंडिका 1.1.3 में उल्लेखित कृषि यंत्रों के साथ –साथ अब निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर भी भारत सरकार की योजनाओं में देय अनुदान के अतिरिकत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत का टॉपअप अनुदान देय होगा–

क्रं.	चिन्हित यंत्र	अनुदान का प्रकार	अनुदान सीमा
1	लेजर–लैण्ड लेवलर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 / –
2	न्युमेटिक प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 / –
3	पावर हैरो	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 30,000 / –
4	हेप्पी सीडर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू 35,000 / –
5	मल्टीकाप प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू 25,000 / –
6	रिजफरो प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू 25,000 / –
7	राईस ट्रांस प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 / –
8	रेक	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 / –
9	बेलर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 / –

अनुदान प्रदाय की प्रकिया मार्गदर्शी निर्देशों तथा समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार रहेगी।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

क्रमांक / तक / एस.एम.ए.एम / 2016–17 / 1060 भोपाल, दिनांक : 13-05-2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग...................(समस्त)

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3   भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला – ....(समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
   संभाग – ....(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री
   जिला – ....(समस्त)

विषयः–निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की योजना में संशोधन बाबत्।

संदर्भः–शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश क्रमाक–डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.12 एवं समसंख्यक दिनांक 27.05.15

0000

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा योजना के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

1. बिन्दु क्रमांक 2.2.4 में उल्लेखित अनिवार्य कृषि यंत्रों में क्रमांक 7 निम्नानुसार जोड़ा जाता है –
   " 7. एक रेज्ड बेड प्लांटर अथवा राईस ट्रांसप्लांटर "
   उपरोक्त संशोधन वर्ष 2016–17 में स्थापित किये जा रहे केन्द्रों पर भी लागू होगा।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3   भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग / उद्यानिकी, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।

उप सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

1329
1-3377

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3 भोपाल, दिनांक 21/02/17

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला – ....(समस्त)
2. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
   संभाग – ....(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री
   जिला – ....(समस्त)

विषयः–निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की योजना में संशोधन बाबत्।
संदर्भः–शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश कमांक–डी–17–5 / 14–3 / 2012 दिनांक 25.07.12

0000

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा योजना के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये गये थे निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

मूल दिशा–निर्देशों दिनांक 25.07.12 के बिन्दु कमांक 2.1(अ)2 में उल्लेखित "आवेदक को न्यूनतम स्नातक होना आवश्यक होगा" के स्थान पर "आवेदक को न्यूनतम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आयु न्यूनतम 18 वर्ष की होना आवश्यक होगा" पढ़ा जावे।

उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

क्रमांक / डी–17–5 / 2012 / 14–3 भोपाल, दिनांक 21/02/17

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।

उप सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

CHE

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
म.प्र. भोपाल

3111
14-6-17

क्रमांक/डी–7–4/14/14–3 भोपाल दिनांक 31/5/17

प्रति,

संचालक,
कृषि अभियांत्रिकी,
म.प्र. भोपाल

विषय :–''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देशो में संशोधन।
संदर्भः– शासन के मार्गदर्शी निदेश क्रं/डी–17–5/14–3/2012 दिनांक 25.07.12

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना'' के मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किए गए है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु सहायता देने का प्रावधान है। योजना के बिन्दु क्रमांक 2.1 पात्रता एवं शर्ते में निम्न संशोधन सम्मिलित किया जाता है –

2.1 पात्रता एवं शर्ते :–

(स) महिला स्व–सहायता समूह/संगठन कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता

1. *योजनांतर्गत महिला स्व–सहायता समूह/संगठन कस्टम हायरिंग केन्द स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगें।*
2. *योजनातर्गत केवल बैंक ऋण के प्रकरण पर ही अनुदान की पात्रता होगी। आवेदक समूहों/संगठनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैध ड्राईविंग लायसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।*

योजना की अन्य पात्रता एवं शर्तें जो (अ) एवं (ब) के लिये लागू है वे (स) के लिये भी लागू होगी।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

CHC

क्रमांक/डी–7–4/14/14–3 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।

उप सचिव
म.प्र.शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(2)

आवक क्र. 3095
दिनांक 30-8-19

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र./डी–17–5/2012 /14–3 13954 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2019

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला..................(समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री,
   संभाग..................(समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री,
   जिला.......................(समस्त)

विषयः– निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की योजना के निर्देशों में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश क्र.–डी–17–5/2012/14–3 दिनांक 25.07.2012 एवं समसंख्यक दिनांक 27.05.2015 तथा 30.06.2016

0000

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा योजना के मार्गदर्शी निर्देश तथा उनमें संशोधन जारी किये गये थे। निर्देशों के बिन्दु क्र. **2.2.4** को निम्ननुसार संशोधित किया जाता हैः–

"**2.2.4** एक इकाई में रखी जाने वाली सामग्री निम्नानुसार होगीः–

श्रेणी (अ) – अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र

1. एक ट्रैक्टर
2. एक प्लाऊ
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो
5. एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा जीरो टिल सीड कम फर्टि.ड्रिल
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर
7. एक रेज्ड बेड प्लांटर अथवा राईस ट्रांसप्लांटर

श्रेणी (ब) – प्राथमिक प्रसंस्करण से संबंधित मशीनें

1. क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट (न्यूनतम क्षमता 500 किग्रा प्रति घंटा)
2. क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट (ग्रेविटी सेपरेटर एवं डि-स्टोनर के साथ) (1 टन प्रतिघंटा–न्यूनतम क्षमता)

उपरोक्त मशीनों को आई एस आई मानक IS:11041 (1984), IS:8440(1977), IS:2813(1995), IS:4333-2(2002), IS:14818 की पूर्ति करना तथा भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों से परीक्षित होना अनिवार्य होगा।

श्रेणी (स) – ऐच्छिक कृषि यंत्र – सूची परिशिष्ठ–3 अनुसार

आवेदक को श्रेणी (अ) में उल्लेखित कृषि यंत्र अनिवार्य रूप से रखे जाने होंगे। श्रेणी (ब) में दर्शाई दोनों मशीनों में से कोई एक मशीन लेना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक श्रेणी (ब) की कोई भी मशीन क्रय नहीं करना चाहता है तो उसे विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रेणी (स) में उल्लेखित कृषि यंत्र ऐच्छिक है जिन्हे आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक क्रय कर सकेगा।"

उपरोक्त संशोधन वर्ष 2019–20 से स्थापित किये जा रहे केन्द्रों पर लागू होगा।

30/8/19

(मुकेश कुमार शुक्ला)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

क्र./डी–17–5/2012 /14–3 /3955 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

30/8/19

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(2)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र./डी–17–5/2012/14–3/4067 — भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर 2019

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला...................... (समस्त)
2. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री
   संभाग .... (समस्त)
3. सहायक कृषि यंत्री
   जिला .... (समस्त)

विषयः–निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना की योजना के निर्देशो में संशोधन बाबत्।

सदर्भः– शासन द्वारा जारी निर्देश क्र.–डी–17–5/2012/14–3/3954 दिनांक 30.08.2019

0000

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा योजना के बिंदु क्र. 2.2.4 में किये गये संशोधन को निरस्त करते हुये बिंदु क्रमाक 2.2.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

''2.2.4 एक इकाई में रखी जाने वाली सामग्री निम्नानुसार होगी :–

श्रेणी (अ) – अनिवार्य रूप से रखी जाने वाले कृषि यंत्र

1. एक ट्रैक्टर
2. एक प्लाउ
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो
5. एक सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल अथवा जीरो टिल सीड कम फर्टि.ड्रिल
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉरीपर
7. एक रेज्ड बेड प्लान्टर अथवा राईस ट्रांसप्लान्टर

श्रेणी (ब) – प्राथमिक प्रसंस्करण से संबंधित मशीनें (संलग्न परिशिष्ट–''अ'' अनुसार)

1. एक ट्रैक्टर चलित अथवा Stationary model क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लान्ट अथवा दोनों (न्यूनतम क्षमता 1000 कि.ग्रा.प्रति घंटा)––{ परिशिष्ट ''अ'' का बिन्दु क्रमांक–1(A) अथवा 1(B)}
2. एक डि– स्टोंनर (न्यूनतम क्षमता 1500 कि.ग्रा.प्रति घंटा)
   उपरोक्त मशीनें भारत सरकार के अधिकृत संस्थानो से परीक्षित होना अनिवार्य होगा। {परिशिष्ट ''अ'' का बिन्दु क्रमांक–2}

श्रेणी (स) – ऐच्छिक कृषि यंत्र – सूची परिशिष्ट–3 अनुसार

आवेदक को श्रेणी (अ) एवं (ब) में उल्लेखित कृषि यंत्र अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले होगे। यदि आवेदक श्रेणी (ब) की कोई भी मशीने क्रय नहीं करना चाहता है तो उसे शासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रेणी (स) में उल्लेखित कृषि यंत्र ऐच्छिक है जिन्हे आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक क्रय कर सकेगा।''

उपरोक्त संशोधन वर्ष 2019–20 से स्थापित किये जा रहे केन्द्रो पर लागू होगा।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(प्रकाश कुमार माखीजा) 09/9/19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्र./डी-17-5/2012/14-3/ 4068 भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2019
प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।

अपर सचिव 09/9/19
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट–'अ'

श्रेणी (ब) – प्राथमिक प्रसंस्करण से संबंधित मशीनों की गुणवत्ता आवश्यकता :

(1)(A) ट्रेक्टर चलित क्लीनिंग **cum** ग्रेडिंग प्लांट
(न्यूनतम क्षमता 01 टन प्रति घंटा)

उक्त मशीन को आई.एस.आई. मानक IS : 11041 (1984), IS : 8440 (1977), IS : 2813 (1995), IS : 4333-2 (2002), IS : 14818 की पूर्ति कर, भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों से परीक्षित होना अनिवार्य होकर, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, म.प्र. में पंजीबद्ध होना अनिवार्य होगा ।

(1)(B) क्लीनिंग **cum** ग्रेडिंग प्लांट
(न्यूनतम क्षमता 01 टन प्रति घंटा)

उक्त मशीन को आई.एस.आई. मानक IS : 12792 (1989), IS : 8440 (1977), IS : 5718 (2000) (Reaffirmed 2006), IS : 12396 (1988), IS : 10048 (1999) की पूर्ति कर, भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों से परीक्षित होना अनिवार्य होकर, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, म.प्र. में पंजीबद्ध होना अनिवार्य होगा ।

(2) डि–स्टोनर
(न्यूनतम क्षमता 1.50 टन प्रति घंटा)

उक्त मशीन को आई.एस.आई. मानक IS: 8440 (1977), IS : 5718 (2000) (Reaffirmed 2006), IS : 14818 (2000) (Reaffirmed 2005), IS : 4333 (Part-1) 1996, IS : 4333 (Part-2) 2002, IS : 4333 (Part-4) 2002 (. Reaffirmed 2012), IS : 12792 (1989) की पूर्ति कर, भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों से परीक्षित होना अनिवार्य होकर, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, म.प्र. में पंजीबद्ध होना अनिवार्य होगा ।

-----

(2)

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आवक क्र. 4227
दिनांक 19.11.19
(म. प्र.), भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: डी-17-5/2012/14-3/ 5079 **भोपाल, दिनांक 19 नवंबर, 2019**

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला .... (समस्त)
2. **कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री**
   संभाग .... (समस्त)
3. **सहायक कृषि यंत्री,**
   जिला .... (समस्त)

विषय:-निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की योजना के निर्देशों में संशोधन बाबत्।

संदर्भ:-विभाग का पत्र क्रमांक डी-17-5/2012/14-3/4067 दिनांक 09 सितंबर, 2019.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त संदर्भित पत्र में किये गये संशोधन के अंतिम पैरा में उल्लेखित शर्त में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, शेष यथावत रहेगा:-

"आवेदक को श्रेणी (अ) में उल्लेखित कृषि यंत्र अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले होंगे। यदि आवेदक श्रेणी (ब) की कोई भी मशीने क्रय नहीं करना चाहता है तो उसे आवेदन देने पर कृषि अभियांत्रिकी के जिला अधिकारियों द्वारा उसमें छूट दी सकेगी। श्रेणी (स) में उल्लेखित कृषि यंत्र ऐच्छिक है, जिन्हें आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक क्रय कर सकेगा।"

CHC 19/11

2/ श्रेणी 'ब' व 'स' के किसी भी यंत्र को क्रय करने के लिए कृषक को अनावश्यक रूप से बाध्य नहीं किया जाएगा। संचालक, कृषि अभियांत्रिकी इसे सुनिश्चित करेंगे।

19/11/19

(प्रकाश कुमार माखीजा)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवंबर, 2019

पृ.क्रमांक: डी-17-5/2012/14-3/5080

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, क्षेत्री कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव, 19/11/19

म.प्र.शासन,

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग